

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 79(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) और नियम 7 के उप-खण्ड (सी) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सिक्किम सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2005 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "सिक्किम" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"सिक्किम"**

पद का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	27	
सरकार के मुख्य सचिव	1	—
अपर मुख्य सचिव	1	2
प्रधान सचिव	4	2
आयुक्त-सह-सचिव		27
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से	11	
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से	07	
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 को 3.5 प्रतिशत की दर से	01	
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	04	
6. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं)	15	
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	35	
<b>कुल प्राधिकृत पद संख्या</b>	<b>50"</b>	

[फा. सं. 11031/6/2004-अ.भा.से. (ii)क]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या का.नि.आ. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात सिक्किम संवर्ग के संबंध में, इन विनियमों में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों द्वारा किए गए :-

क्र.सं.	सा.का.नि.	दिनांक
1	2	3
1.	404(अ)	16-06-1976
2.	419	08-05-1982
3.	123	15-02-1986
4.	190	26-03-1988
5.	872	12-11-1988
6.	237	15-05-1993
7.	319(अ)	31-03-1995
8.	739(अ)	31-12-1997
9.	367(अ)	19-05-1999
10.	224	09-07-2005

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2008

**G.S.R. 79(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause © of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Sikkim, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2005.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Sikkim" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted namely:

**"SIKKIM"**

Name of Post	No. of Posts	Minimum tenure for posting (in years)
1	2	3
Senior Duty Posts under the State Government	27	
Chief Secretary to the Government	1	-
Additional Chief Secretary	1	2
Principal Secretary	4	2
Commissioner -cum-Secretary	8	2

1	2	3
Secretary to Govt./Joint Secretaries/ Deputy Secretaries	9	2
District Magistrate and Collector	4	2
<b>Total</b>		<b>27</b>
2. Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above		11
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above		7
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above		1
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above		4
6. Posts to be filled by promotion (not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 & 4 above )		15
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 +2+3+4+5-6)		35
<b>*Total Authorised Strength</b>		<b>50</b>

[F. No. 11031/6/2004-AIS-II-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* SRO No. 3350 dated 22nd October, 1955. These were subsequently amended in respect of the Sikkim Cadre *vide* the following GSR Nos. and dates:

Sl. No.	GSR No	Date
1.	404E	16-06-1976
2.	419	08-05-1982
3.	123	15-02-1986
4.	190	26-03-1988
5.	872	12-11-1988
6.	237	15-05-1993
7.	319E	31-03-1995
8.	739E	31-12-1997
9.	367E	19-05-1999
10.	224	09-07-2005